



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 16 फरवरी, 2026 ई०

माघ 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग-01

संख्या- 101/XVIIA-1/2026-01(36)/2015

देहरादून, 16 फरवरी, 2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-16 वर्ष 2015) की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती राखी देवी, पत्नी श्री सुभाष सिंह, निवासी मोहम्मदपुर भुडिया, तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर को थारु जनजाति से उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्रीमती राखी देवी का कार्यकाल अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

आज्ञा से,

डा० श्रीधर बाबू अद्दांकी,
सचिव।